23/07/24 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थिका तथा विपक्षी वकील मोहनलाल खिलेरी व [illegible] उपस्थित आए, शेष दो पक्षकार के नहीं आए अतः, विपक्षी अशोक कुमार के वकील को न्यायालय समय तक कार्य का अवसर लगाई, [illegible] शेष के विरुद्ध [illegible] नोटिस आवश्यक [illegible] जिसके आधार पर [illegible] 9/A [illegible] Restore करने का आदेश दिया जाता है पत्रावली [illegible] कुमार होने तक लंबित रहेगा। नियमानुसार।

सहायक कलक्टर
(SDO) बौहटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:46 IST
Reason: SelfAttested